न्यायालयः— चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 जिला अशोकनगर (म.प्र.) (समक्षः—श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन)

R.C.S.A.-92/17 व्यवहार वाद क.-92ए/2017 संस्थापन दिनांक-15.09.2017

- जसराम पुत्र खूबसिंह जाति यादव उम्र
 32 वर्ष
- 2. शिशुपाल पुत्र खूबसिंह यादव उम्र 34 वर्ष
- 3. कृष्णपाल पुत्र खूबसिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासीगण—ग्राम लखेरी बसारती तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

.....वादीगण / आवेदकगण विरुद्ध

- वरुण कुमार पुत्र गजरामसिंह यादव उम्र 34 वर्ष
- केशवसिंह पुत्र वीरभानसिंह यादव उम्र 26 वर्ष निवासीगण—ग्राम करियाखोड़ी तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र)प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

वादी द्वारा—श्री चंद्रशेखर साहू अधिवक्ता प्रतिवादी क01,02,03 द्वारा—श्री पहलवानसिंह अधि. प्रतिवादीक.4 व 5 द्वारा—श्री महेंद्रसिंह यादव अधि. प्रतिवादी क.06 पूर्व से एकपक्षीय।

<u>—ःआदेशःः—</u> (आज दिनांक—21.02.2018 को पारित किया गया।)

- 01. इस आदेश द्वारा वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 तथा धारा 151 सी. पी. सी. (आई.ए.नं.01/17) का निराकरण किया जा रहा है ।
- 02. उक्त आवेदन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्र01 लगायत 03 की कृषि भूमि ग्राम लखेरी वसारती में स्थित है। चूंकि वादी के पिता खूबसिंह एवं प्रतिवादी क्र 01 लगायत 03 की शामलाती भूमि जिसका धारा—178 के तहत् दिनांक—17.05.2001 को विधिवत् बटवारा हुआ तथा बटवारे के आधार पर समस्त हिस्सेदार अपने—अपने हिस्से पर काबिज हो गए। बटवारा की जा रही भूमि में भूमि सर्वे क्र 477 मिन रकवा 1.316हे. प. ह.नं. 023 स्थित ग्राम लखोरी बसारती प्रतिवादी क्र01 के नाम से राजस्व

अभिलेखों में दर्ज था जिसका बटवारा आवेदक / वादीजन के पिता खूबसिंह ने नाम से सर्वे क 477 का रकवा 0.480हे. प्रतिवादी क 02 के नाम से सर्वे क 477 का रकवा 0.355हे. तथा प्रतिवादी क 03 के नाम से सर्वे क 477 का रकवा 0.419हे. घोषित किया गया। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के पिता एवं प्रतिवादी क 02 व 03 इस सर्वे नंबर के भूमि स्वामी हुए। आवेदक / वादीगण के पिता का देहांत वर्ष 2007 में हो गया तत्पश्चात भूमि सर्वे क्रमांक 477 का रकवा 0.480हे. का फौती नामांतरण राजस्व अभिलेखों में उनके नाम किया गया। दिनांक-17.05.2001 के बटवारे के बाद फर्द बटवारा का राजस्व अभिलेखों में अलग होने के पर्व प्रतिवादी क01 के वादेय भूमि में से रकवा 0.712हे. का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक-04.06.2001 को प्रतिवादी/अनावेदक क 04 व 05 के नाम कर दिया जिसकी जानकारी आवेदकगण को एवं उनके पिता को नहीं हो सकी। अनावेदकगण / प्रतिवादीगण क 04 व 05 को यह जानकारी थी कि वे जिस वादेय भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयनामा अपने नाम संपादित करा रहे हैं, उस वादेय भूमि का भूमि स्वामी प्रतिवादी कृ01 नहीं है। इसके बाद भी प्रतिवादी क 04 व 05 ने वादेय भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयनामा वादेय भूमि के अंश भाग 0.721 हे. का अपने पक्ष में संपादित करा लिया। इसकी जानकारी अनावेदक / प्रतिवादी क 04 व 05 ने आवेदक / वादी के पिता के जीवनकाल में एवं मृत्यू के बाद आवेदकगण के पिता को नहीं होने दी। वादग्रस्त भूमि का बटवारा दिनांक—17.05.2001 के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी कृ01 के नाम से दर्ज थी। दिनांक-17.05.2001 के बटवारे के बाद फर्द बटवारा का राजस्व अभिलेखों में अलग होने के पूर्व प्रतिवादी क01 ने वादेय भूमि में से रकवा 0.712हे. का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक-04.06.2001 को प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के नाम कर दिया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण ने प्रतिवादी क01 से साठंगाठ करके अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर न्यायालय में एक अपील मेमो बटवारा दिनांक—17.05.2001 को निरस्त करने के लिए अपील प्रकरण क 03 अपील / 2009 / 10 प्रस्तृत कर दी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारे को निरस्त कर प्रतिवादीगण के पक्ष में नामांतरण कराने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण / वादीगण ने अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसमें बटवारा निरस्ती आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई जिसके कारण प्रतिवादीगण/अनावेदकगण आवेदक/वादीगण को वादग्रस्त भृमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। यदि अनावेदकगण / प्रतिवादीगण अपने कृत्य में सफल हो गए तो वादीगण का वाद व्यर्थ हो जाएगा। अतः वादीगण/आवदेकगण द्वारा उनके पक्ष में एवं प्रतिवादीगण / अनावेदकगण क04 व 05 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई जारी किए जाने का निवेदन किया प्रतिवादीगण / अनावेदकगण क04 व 05 वादग्रस्त भूमि पर स्वयं या हित प्रतिनिधियों के माध्यम से बलपूर्वक कब्जा न करें न ही करावें एवं उनके

शांतिपूर्ण आधिपत्य व बेपराव में किसी प्रकार से दखल न देवे न ही दिलावे।

- प्रतिवादी / अनावेदक क 04 व 05 की ओर से उक्त आवेदन के जबाव के माध्यम से आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों को अस्वीकार कर यह कथन किया गया कि भूमि सर्वे क 477 मिन रकवा 1.316हे. स्थित ग्राम लखेरी बसारती वर्ष 2001 के पूर्व से ही प्रतिवादी क्र01 कप्तानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह यादव के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी व प्रतिवादी क 01 उक्त भूमि का एकमात्र भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी था। उक्त भूमि सर्वे क 477 रकवा 1.316हे. भूमि का कोई भी बटवारा नहीं हुआ तथा वादी / आवेदक ने उक्त भूमि के संबंध में कथित बटवारा करवाया था जो एसडीएम न्यायालय अशोकनगर ने अपने प्रक 03/09/10 अपील में पारित आदेश दिनांक–07.06.17 के द्वारा निरस्त कर दिया है। वादग्रस्त भूमि वर्ष 2001 के पूर्व से ही व दिनांक-04.06.01 को राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क.01 कप्तानसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कानूनी अधिकार प्रतिवादी क01 को था व प्रतिवादी क01 ने वादग्रस्त भूमि में से रकवा 0.712हे. भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्र04 व 05 को किया है। प्रतिवादी क्र04 व 05 वादेय भूमि के हिस्सा ०.७१२हे. पर विक्रय नामा के उपरांत व प्रतिवादी क्र01 से कब्जा लेने के बाद से ही निरंतर आज दिनांक तक काबिज है तथा कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी प्रतिवादी कृ04 व 05 द्वारा बोयी गई फसल खड़ी है। राजस्व अभिलेखों, खसरा, खतौनी व भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में वादेय भूमि के हिस्सा 0.712हे. की भूमि प्रतिवादी क 04 व 05 के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में वादेय भूमि के हिस्सा 0.712हे. भूमि के एकमात्र भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी प्रतिवादी क. 04 व 05 है। वादेय भूमि के हिस्सा 0.712हे. भूमि प्रतिवादी क 04 व 05 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी क01 से कय की है तथा विकय पत्र के उपरांत से ही निरंतर प्रतिवादी कृ04 व 05 वादेय भूमि के हिस्सा 0.712हे. पर काबिज हो कर फसल लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वादेय भूमि का हिस्सा 0.712हे. भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क04 व 05 के नाम दर्ज है जिस पर वादीजन व प्रतिवादी क02 व 03 को प्रतिवादी क04 व 05 के स्वत्व के मुकाबले कोई कानुनी अधिकार नहीं है व वादीगण को वादेय भूमि पर दखल देने का अधिकार नहीं है। वादेय भूमि का हिस्सा ०.७१२हे. एकमात्र प्रतिवादी क 04 व 05 के स्वामित्व व आधिपत्य का है। अतः आवेदन सारहीन होने से निरस्त करने का निवेदन किया गया।
- 05. आवेदन के निराकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:— —::विचारणीय प्रश्न::—
- 1. क्या वाद प्रथम दृष्ट्या वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में है?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण / आवेदकगण के पक्ष में है?
- 3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में जारी न किए जाने से उन्हें अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना है?

<u>—ः:सकारण विवेचना एवं निष्कर्षः:—</u> ःःःविचारणीय प्रश्न क.01,02,03ःःः

- 06. वादी/आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों के सही होने का कथन किया है तथा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के द्वारा भी जबाव के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमें वर्णित तथ्यों के सही होने का कथन किया गया है लेकिन परस्पर विरोधाभासी शपथ पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वादीगण/आवेदकगण की ओर से वादग्रस्त भूमि की भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की फोटोप्रति, खसरा पंचशाला वर्ष 1999—2000 की फोटोप्रति, खसरा पंचशाला वर्ष 2003—04 संवत् 2062—64, संवत् 2066 लगायत 2070 की फोटोप्रति, अपर आयुक्त ग्वालियर के प्र0क0 553/2017 दिनांक—24.10.2017 की फोटोप्रति, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक—19.06.2017 की फोटोप्रति, न्यायालय तहसीलदार परगना अशोकनगर के आदेश दिनांक—17.05.2001 की फोटोप्रति, प्रतिवादी कप्तानसिंह के आधार कार्ड की फोटो प्रति, वादग्रस्त भूमि के फौती नामांतरण आदेश दिनांक—31.07.2008 की फोटो प्रति, परिश की गई है।
- 07. इसके विपरीत अनावेदकगण / प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में वादग्रस्त भूमि का असल रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक—04 जून, 2001, खसरा वर्ष 2016—17 की प्रमाणित प्रतिलिपि, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016—17 की प्रमाणित प्रतिलिपि, वादग्रस्त भूमि के अक्स की सत्यप्रतिलिपि, असल भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, एसडीएम न्यायालय अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक—07.06.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि, अपर आयुक्त ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
- वादीगण/आवेदकगण की ओर से प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर उनके आधिपत्य से बेकब्जा न करने और आधिपत्य में दखल नहीं देने की सहायता चाही गई है जिसके लिए वादी को दावा प्रस्तृति दिनांक को अपना वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वादीगण/आवेदकगण की ओर की फोटोप्रतियां पेश की प्रतिवादीगण / अनावेदकगण द्वारा असल दस्तावेज एवं लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई हैं। अतः प्रतिवादीगण/अनावेदकगण की ओर से पेश किए गए दस्तावेज वादीगण की तुलना में अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण की ओर से विक्रय पत्र दिनांक-04 जून, 2001 के अवलोकन से यह प्रकट है कि अनावेदकगण के द्वारा कप्तानसिंह से वादग्रस्त भूमि विक्रय की गई है और वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण / प्रतिवादीगण का आधिपत्य है जिसकी

//5// व्यवहार वाद क.—92ए/2017

पुष्टि खसरा वर्ष 2016—17, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016—17 की प्रमाणित प्रतिलिपियों से होती है तथा शासन के द्वारा उन्हें भू अधिकार और ऋण पुस्तिका भी प्रदान की गई है। अतः दावा प्रस्तुति दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/आवेदकगण का अधिपत्य होना दर्शित नहीं है और जब वादीगण/आवेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं पाया गया है तब अनावेदकगण/प्रतिवादीगण द्वारा उन्हें वादग्रस्त भूमि से बेदखल किए जाने और कब्जा करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक बटवारे का प्रश्न है, इसका निराकरण उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

- 09. अतः उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाए गए हैं। फलस्वरूप वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 व धारा 151 सी.पी. सी. (आई.ए. नं. 01/17) <u>अस्वीकार</u> किया जाता है।
- 10. आवेदन व्यय प्रकरण के अंतिम निराकरण के शासित होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 अशोकनगर म0प्र0 (श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन) चतुर्थ व्यवहर न्यायाधीश वर्ग—2 अशोकनगर म0प्र0